# न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंन्झुनूं

| मु.न. | दायर दिनांक | अ. धा. | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 24/2017 | 18.07.2016 | 91 एल.आर.एक्ट | 11.07.2017 |

सरकार बनाम कजोड़मल पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी पापड़ा खुर्द

11.07.2017 पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित । पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का पापड़ा कलां नें सम्वत 2073 में इस आश्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मोजा ग्राम पापड़ा खुर्द के ख0न0 218 रकबा 0.74 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 540 वर्ग फुट पर कजोड़मल पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी पापड़ा खुर्द नें दो पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का पापड़ा खुर्द के आधार पर प्रकरण रा0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस अ0 धा0 91 एल.आर.एक्ट के तहत तलबी सम्मन नोटिस जारी किये गये ।

अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट यतीश सिंह नें वकालतनामा पेश किया। अतिक्रमी नें जवाब नोटिस पेश किया जिसमें अप्रार्थी नें कोई अतिक्रमण नहीं करनें एवं स्वयं की खातेदारी भूमि में ही निर्माण करनें का स्पष्टीकरण दिया। रिपोर्ट पटवारी हल्का पापड़ाकलां एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड सबुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। चूंकी पटवारी हल्का पापड़ाकलां द्वारा पूर्व में किया गया सीमाज्ञान नक्शा लट्ठा द्वारा किया गया था अतः पुनः सीमाज्ञान सर्वे सीट के आधार पर करवाया गया। सीमाज्ञान सर्वे सीट रिपोर्ट अनुसार ग्राम पापड़ा खुर्द के भूमि खसरा नं0 218 रकबा 0.74 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

## आदेश

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया चुंकि पटवारी हल्का पापड़ाकलां की नवीन सीमाज्ञान रिपोर्ट में प्रतिवादी द्वारा भूमि खसरा नं0 218 किस्म गै0मु0 रास्ता में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 11.07.2017 को खुले न्यायालय मे पढ़कर सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
उदयपुरवाटी